महात्मा गांधी की दृष्टि में स्त्री

डॉ ममता यादव,
एसोसिएट प्रोफेसर–राजनीति एवं लोकप्रशासन विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

संतति रक्षण और भारतीय मूल्यों के संरक्षण की दृष्टि से स्त्रियों की उपयोगिता पुरूषों से सदैव अत्यधिक रही है। पृथ्वी पर मानव विकास की यात्रा के आरम्भ में स्त्री एवं पुरूषों की प्रस्थिति वस्तुतः समान थी किन्तु प्रायः सर्वत्र पुरूष सत्तात्मक समाज का विकास हुआ। ऐसा सम्भवतः स्त्री की शारीरिक बनावट और गर्भधारण के दौरान उसकी स्वाभाविक विवशता के कारण हो पाया। पुरूषों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। स्त्रियों को 'अबला' की संज्ञा देकर उन्हें हीन भावना से ग्रसित किया गया। और कालान्तर में स्त्री ने इस स्थिति को स्वाभाविकमान लिया और अपनी उत्तरोत्तर अवनति के लिए मार्ग प्रशस्त्र कर दिया। भारत में सैद्धान्तिक स्तर पर महिलाओं को पुरूषों के बराबर ही प्रतिष्ठा प्राप्त थी। आध्यात्मिकता की दृष्टि से तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, पर सामाजिक व्यवहार में भारतीय सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों तथा स्त्रियों के प्रति न्याय नहीं किया। उनके साथ अमानवीय व्यवहार कियागया। इस स्थिति को लाने वाले पुरूष ही थे। यद्यपि की यह भी सत्य है कि उनकी दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए पहल करने का कार्य भी पुरूषों को ही जाता है। ज्ञात इतिहास में स्त्री शक्ति को उद्वेलित और उचित दिशा की ओर अग्रसर करने का कार्य सर्वप्रथम द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा व्यापक पैमाने पर किया गया। उनके बाद जैन तीर्थांकर महावीर ने स्त्रियों को दीक्षा प्रदान करने की व्यवस्था का काम किया। उनके पश्चात् एक लम्बे समय तक स्त्रियों की दशा पर कोई विचार नहीं किया गया।

इसके विपरीत उनकी स्थितिमें गिरावट जारी रही। मध्ययुग में भक्ति आंदोलन ने अवश्य महिलाओं की कुछ विशेषताओं की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, किन्तु इसका प्रभाव नगण्य रहा। भारत में कम्पनी शासन के आगमन, पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरम्भ होने, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार तथा अनेक सामाजिक सुधार आंदोलनों एवं संस्थाओं के सक्रिय योगदानकेकारण स्त्रियों की स्थिति और उनकी समस्याओं के विषय पर चिंतन मनन की प्रक्रिया का आरम्भ हुआ। इसी दिशा मेंराजाराम मोहनराय, केशवचन्द सेन, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, गोविन्द रानाडे, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द आदि के प्रयास उल्लेखनीय हैं।

किन्तु आधुनिक युग में गॉधी जी वस्तुतः प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल चिंतन केस्तर पर अपितुव्यवहारिक स्तर पर भी स्त्रियों के विकासऔर उत्थान केलिए यथार्थवादी कार्य किए।

महिलाओं को परम्परागत रूप से पुरूषों द्वारा प्रताड़ित पाकर गाँधी बहुत दुखी होते थे। गाँधी ने पाया कि पुरूष ने जब भी अवसर पाया स्त्री के शोषण का प्रयास किया। कन्या केजन्म को परमात्माका प्रकोप माना जाता था और जीवन पर्यन्त उसे सताया व प्रताड़ितकिया जाता था। यही कारणहै कि उसे घर कीचहार दीवारीके अन्दर रखा जाता था। उसे न शिक्षित किया गयान अपने पैरों पर खड़ा होने या आजीविकाअर्जितकरने का अवसर दिया गया। पुरूषों के समान समता का अवसर भी उसे

प्राप्तनहीं था। गाँधी महिलाओं को पुरूष प्रधान समाज व राज्य की दुर्गति से बचाना चाहते थे।

गाँधी जी की मान्यता थी कि पुरूष के समान महिला की मानव के ईश्वर की एक अद्भुत कृति है। परमेश्वर ने पुरूषों किभाँति स्त्रियों को भी नैतिकता, विवेकशीलता व सामाजिकता की क्षमताएँ प्रदान की हैं। ईश्वर ने महिलाओं में न केवल उन सब गुणों का समावेश किया है जो उसनेपुरूषों को दिएहैं,बल्कि भद्रता, शालीनता, प्रेम व त्याग एवं सहनशक्ति जैसे विशेष गुणों से भी अलंकृत किया है जिनके संदर्भ में महिलाएँ ं पुरूषों के समकक्ष ही नहीं श्रेष्ठ भी हैं।

महात्मा गाँधी महिलाओं को पुरूषों के परंपरागत अवांछनीय बंधन से मुक्त करना चाहते थे। वे चाहते थे किपुरूष, महिलाओं को सुंदरता व वासना के प्रतीक रू‍ में न देखें तथा उनके साथ घरेलू नौकरों अथवा पशुवत् व्यवहारन करें। महिलाओं के प्रति पुरूषों के ऐसे अनुचित तथा अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण तथा व्यवहार से गाँधी महिलाओं की मुक्ति चाहते थे। वे यह चाहते थे कि महिलाओं को पुरूषों के समान शिक्षा तथा रोजगार कमाने का अवसर मिले, जिससे कि वे पुरूषों के प्रति शैक्षिक व आर्थिक रूप से निर्भर न रहें। जब तक महिलाएँ पुरूषों पर आश्रित रहेंगी, जब तक उनकी पुरूष पर शैक्षिकव आर्थिक निर्भरता से मुक्ति नहीं होगी तब तक वे एक मानव के रूप में सम्मान के साथ जीवन निर्वाह न कर पाएंगी।

20 वीं शताब्दी में महात्मा गाँधी के अभ्युदय से वास्तव में नारीके जीवन में नवजीवन का संचार हुआ। महात्मा गाँधी ने सोई हुई नारी जाति को न केवल जगाया बल्कि उनके गौरव को समझा और समझाया। महात्मा गाँधी आध्यात्मिक दृष्टि से पुरूष और स्त्री में भेद नहीं करते थे। उनके अनुसार जैव वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों में भेद अवश्य हैं किन्तु यह विभेद सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं। इस विभेद में असमानता की सृष्टि नहीं होती और न ही पुरूष की स्थिति उच्च बन जाती है। समाज के लिए दोनों की आवश्यकता है। फलतः दोनों पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। गाँधी जी के शब्दों में स्त्री और पुरूष का दर्जा समान है, पर एक नहीं है। वे ऐसी अनुपम जोड़ी है जिसमें प्रत्येक एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे के लिए आश्रय रूप है– जहाँ एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की परिकल्पना नहीं की जा सकती।

गाँधी समाज से अपेक्षा करते थे कि लड़के एवं लड़कियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। पर स्त्री और पुरूष की समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि स्त्री पुरूषोचित व्यवहार करनेलगे या पुरूष को स्त्रियोचित व्यवहारके लिए बाध्य किया जाए। दोनों की समानता का तात्पर्य यह है कि दोनों को अपने–अपने व्यक्तिगत अन्तर्निहित क्षमताओं के विकास का समस्त अवसर मिले। दोनों को बराबरी की सुविधा मिलने का यह तात्पर्य है कि समाज विकास में दोनों बराबरी का दायित्व निभाएँ।

गाँधी जी कहते थे कि स्त्री–पुरूष एक ही दर्जे के हैं दोनों का महत्व समान है। दोनों सहयोगी हैं प्रतिस्पर्धी नहीं। समाज का नेतृत्व पुरूषों के हाथ में रहे,यहभी कोई पुरातन नियम नहीं है। पुरूषों के समान स्त्री अपना जीवन अपनी स्वतन्त्र इच्छानुसार चला सकतीहै। कानून जो हम पुरूष को प्राप्त है वही हक स्त्री को भी मिलना चाहिए। स्त्री और पुरूष के बीच प्रकृति ने ही शारीरिक भेद उत्पन्न किया है। इसलिए दोनों के कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ कर्म होना अवश्यम्भावी है। भारतीय नारी में गाँधी जी की अपार श्रद्धा थी। स्त्री–शक्ति में उनका अगाध विश्वास था। अपराधियों और दोषियों के हृदय का

परिवर्तन करके उनमें देश प्रेम की ज्योति जगाने की शक्ति भी वे स्त्री की सेवा में देखते थे।

गाँधी जी के शब्दों में–''स्त्री को निर्बल मानना उसका अपमान है तथा वह पुरूष का स्त्री के प्रति अन्याय है। गाँधी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि समाज की मुक्ति स्त्रियों के बलिदान तथा संस्कार पर ही निर्भर है।

गाँधी जी स्त्री को अबला मानने की अवधारणा के सदैव विरोधी थे, क्योंकि उनके अनुसार इस एक अवधारणा से पुरूष जाति ने स्त्रियों का दुरूपयोग किया है और खिलौना बनाकर रख दिया है, साथ ही साथ इससे महिलाओं की दुर्गति हुई है। यह अवधारणा घोर अन्याय का प्रतीक है।

गाँधी जी के शब्दों में ''आदमी जितनी बुराइयों के लिए जिम्मेदार है उनमें सबसे घटिया वीभत्स और पाशविक बुराई उसके द्वारा मानवता के अर्थात् नारी जाति का दुरूपयोग है। वह अबला नहीं नारी है। नारी जाति निश्चित रूप से पुरूष जाति की अपेक्षा अधिक उदात्त है। आज भी नारी त्याग, मूक, दुख, सहन, विनम्रता,आस्था और ज्ञान की प्रतिमूर्ति है।

गाँधी जी ने महिलाओं को अपने आप को पुरूषों से हीन समझना बंद कर देने की सलाह दी और उन्होंने महिलाओं के विरूद्ध सभी कुरीतियों के विरूद्ध विद्रोह कर देने की सलाह दी थी। गाँधी जी के शब्दों में– ''स्त्री को चाहिए कि वह स्वयं को पुरूष के भोग की वस्तु मानना बंद कर दे। इसका इलाज पुरूष की अपेक्षा स्वयं स्त्री के हाथों में ज्यादा है। उसे पुरूष के लिए जिसमें पति भी शामिल है, सजने से इनकार कर देना चाहिए। तभी वह पुरूष के साथ बराबर की साझीदार बन सकेगी। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि सीता ने राम को अपने रूप –सौन्दर्य से रिझाने पर एक क्षण भी नष्ट किया होगा।''

गाँधी जी आगे कहते हैं– ''यदि मैंने स्त्री के रूप में जन्म लिया होता तो मैं पुरूष के इस दावे के विरूद्ध विद्रोह कर देता कि स्त्री उसके मन बहलाव के लिए पैदा हुई है। स्त्री के हृदय में स्थान पाने के लिए मुझे मानसिक रूप से स्त्री बन जाना पड़ा है। मैं जब तक अपनी पत्नी के हृदय में स्थान नहीं पा सकता जब तक कि मैनें उसके प्रति अपने पहले के व्यवहार को बिल्कुल बदल डालने का निश्चय नहीं कर लिया। इसके लिए मैने उसके पति की हैसियत से प्राप्त सभी तथा कथित अधिकारों को छोड़ दिया और ये अधिकार उसी को लौटा दिए। आप देखेगें कि आज यह वैसा ही सादा जीवन जीती है, जैसा कि मैं। वह न कोई आभूषण धारण करती है, न अलंकार।

गाँधी ने कहा मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी की तरह हो जाओ। अपनी मौज–मस्तियों की गुलामी और पुरूष की गुलामी छोड़ो। अपना श्रृंगार छोड़ों इत्र और लवेडरों का त्याग कर दो, सच्ची सुगन्ध वह है जो तुम्हारे हृदय से आती है, यह पुरूष को ही नहीं अपितु सम्पूर्ण मानवता को मोहित करने वाली है। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है।.....अपनी प्रतिष्ठा स्वयं प्राप्त करो और अपने संदेश फिर से सुनाओ।''

गाँधी जी स्त्रियों को अबला मानने की अवधारणा के सदैव विरोधी थे। गाँधी जी बल का तात्पर्य शारीरिक बल से नहीं अपितु नैतिक बल से लगाते थे और उनके अनुसार नैतिक बल की दृष्टि से स्त्री पुरूष की अपेक्षाकृत किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं हैं।

गाँधी का मानना था ''नारी को अबला कहना उसकी निंदा करना है, पुरूष का नारी के प्रति अन्याय है यदि शक्ति का अर्थ शारीरिक शक्ति है तो सचमुच पुरूष की तुलना में स्त्री में पाशविकता कम है और यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है तो स्त्री निश्चित रूप से पुरूष की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या उसमें पुरूष

की अपेक्षा अंतःप्रज्ञा, अधिक आत्मत्याग, अधिक सहिष्णुता और अधिक साहस नहीं है? उसके बिना पुरूष का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि अंहिसा मानव जाति का नियम है तो भविष्य नारी जाति के हाथ में है .....हृदय को आकृषित करने का गुण स्त्री से ज्यादा और किसमें हो सकता है?

गाँधी ने कहा ''यदि पुरूष ने उपने अविवेकपूर्ण स्वार्थ के वशीभूत होकर स्त्री की आत्मा को इस तरह कुचला न होता और स्त्री 'आनंदोपभोग' की शिकार न बन गयी होती, तो उसने संसार को अपनी अंतर्निहित अनंत शक्ति का परिचय दे दिया होता। जब स्त्री को पुरूष के बराबर अवसर प्राप्त हो जाएगा और वह परस्पर सहयोग और सबन्ध की शक्तियों का पूरा–पूरा विकास कर लेगी, तो संसार स्त्री–शक्ति का उसकी सम्पूर्ण विलक्षणता और गौरव केसाथ परिचय पा सकेगी।''

गाँधी जी का मानना था कि ''स्त्री आत्मत्याग की मूर्ति है लेकिन दुर्भाग्य से आज वह यह नहीं समझ पा रही कि वह पुरूष से कितनी श्रेष्ठ है। जैसा कि टॉलस्टाय ने कहा है कि वे पुरूष के सम्मोहक प्रभाव से आक्रांत हैं, यदि वे अंहिसा की शक्ति पहचान लें तो वे अपने को अबला कहे जाने के लिए हरगिज राजी नहीं होंगी।

गाँधी जी के विचार में स्त्रियों में अहिंसकशक्ति पुरूषों कीतुलना में अधिक होती है। उनके अनुसार जिस अहिंसक समाज के आदर्श के लिए वह प्रयास कर रहे हैं उसकी स्थापना स्त्रियों के माध्यम से अधिक होने की गुंजाइश है। स्त्री यदि अपनी अहिंसक शक्ति के सामर्थ्य को जान ले तो वह कभी भी अबला कहलाना पसन्द नहीं करेगी क्योंकि अहिंसक शक्ति जाग्रत होना पर वह अन्याय के विरूद्ध संघर्ष के लिए आगे आएगी।

''मेरा विश्वास है कि अहिंसा के उच्चतम और सर्वोत्कृष्ट स्वरूप का प्रदर्शन करना स्त्री का जीवन लक्ष्य है कारण यह है कि अहिंसा के क्षेत्र में खोज करने और साहसिक कदम उठाने के लिए स्त्री अधिक उपयुक्त है .....आत्मत्याग का साहस पुरूष की अपेक्षा स्त्री में निश्चित रूप सेकहीं ज्यादा है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि पशुता का साहस पुरूषमें स्त्री की अपेक्षा ज्यादा है।''

गाँधी जी ने कहा है कि –''स्त्री अहिंसा का अवतार है। अहिंसा का अर्थ असीम प्रेम जिसका अर्थ है पीड़ा भोगने की असीम सामर्थ्य। यह सामर्थ्य स्त्री जो पुरूष की जननी है से अधिक और किसमें है? अपने गर्भ में नौ मास तक शिशु का पोषण करके और उस क्लेश को प्रसन्नता पूर्वक झेलकर वह इस सामर्थ्य का प्रचुर प्रभाव देती है। प्रसव पीड़ा से बड़ी पीड़ा कोई और है? लेकिन सृजन के सुख मेंवह उसेभी भुला देती है।''

बच्चे के दैनंदिन विकास के लिए कौन है जो रोज खटकता है? स्त्री को चाहिए कि वह उस प्रेम का विस्तार करके समूची मानवता को इसमें समाविष्ट कर लें और यह भूल जाएकिवह पुरूष वासना का विषय है। शांति के लिए व्याकुल युद्धरत संसार में शान्ति का पाठ स्त्री को ही पढ़ाना है।''

गाँधी जी चाहते थे स्त्रियाँ गृह कार्य के अतिरिक्त बाहरी कार्य में भी भाग लें, उन्होंने कहा ''घर के काम में स्त्रियों का सारा वक्त खर्च नहीं हो जाना चाहिए। स्त्री पुरूष कीसहचरी है। उसकी मानसिक शक्तियाँ पुरूष से जरा कम नहीं है। उसे पुरूष के छोटे से छोटे कामों के लिए हाथ बढ़ाने का अधिकार है और आजादी का उतना ही अधिकार है जितना पुरूष को।''

''स्त्री को कार्यकलाप के अपने क्षेत्र मे सर्वोच्च स्थान पाने का वैसा ही हक है जैसा पुरूष को अपने क्षेत्र में है। स्वभावतया ही स्थिति

होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख जाने पर ही वह इसकी हकदार बनेगी। गलत परम्परा के जोर पर ही मूर्ख और निकम्मे लोग भी स्त्री के ऊपर श्रेष्ठ बनकर मजे लूट रहे हैं, जबकि वे इस योग्य हैं ही नहीं और उन्हें बेहतरी हासिल नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों की इस दशा के कारण ही हमारे बहुत से आंदोलन अधर में लटके रह जाते हैं।''

गाँधी जी ने समाज में स्त्रियों में दोयम दर्जे की स्थिति पर चिंता व्यक्तकरते हुए लिखा है–''तथाकथित अबला वर्ग के ऊपर यह जो हीन अवस्था विधि का नियामक होनेके नाते पुरूष द्वारा आरोपित कर दी गयी है, उसका उसे बहुत ही भयावह दण्ड भुगतना होगा। पुरूष के फंदे से आजाद होकर स्त्री जब अपने पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त करेगी और मनुष्यकृत विद्या तथा उसके द्वारा गठित संस्थाओं के विरूद्ध विद्रोह करेगी तो उसका विद्रोह अहिंसक होगा, पर फिर भी बड़ा प्रभावकारी सिद्ध होगा।''

गॉधी जी ने भारत में स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए पश्चिमी सभ्यताओं का अंधानुकरण नहीं करने की सलाह देते हैं और कहते हैं –''स्त्री ने अनजाने में विलक्षण उपायों से पुरूष को विविध प्रकार से फसाया हुआ है और इसी प्रकार पुरूष ने भी स्त्री को वर्चस्व प्राप्त ने करने देने हेतु अनजाने में ही किन्तु व्यर्थ संघर्ष किया है। परिणामतः एक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गयी। इस दृष्टि से देखें तो यह एक गम्भीर समस्या है जिसका समाधान भारतमाता की प्रबुद्ध बेटियों को करना है। उन्हें पश्चात् तौर–तरीकों को नहीं अपनाना हैं जो शायद वहाँ के वातावरण के अनुकूल है। उन्हें भारत की प्रकृति और यहाँ के वातावरण को देखकर अपने तरीके लागू करने होगें। उनके हाथ मजबूत, नियंत्रणशील, शुचिकारी और संतुलित होने चाहिए जो हमारी संस्कृति के उत्तम तत्वों को तो बचा रखे और जो कुछ निकृष्ट तथा अपकर्षकारी है उसे बेहिचक निकाल फेकें। यह काम सीताओं, द्रोपदियों, सावित्रियों और दमयंतियों का है।

गाँधी जी ने स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए यह आवश्यक बताया कि स्त्रियों को अपने आपको पुरूषों का कठपुतली नहीं बने रहना होगा। गाँधी जी ने कहा कि–''पुरूष ने स्त्री को अपनी कठपुतली समझ लिया है। स्त्री को भी इसका अभ्यास हो गया है और अतंतः उसे यह भूमिका सरल और मजेदार लगने लगी है, क्योंकि जब पतन के गर्त में गिरने की क्रिया सरल लगने लगती है।''

गाँधी ने कहा ''मेरा दृढ़ मत है कि इस देश में सही शिक्षा यह होगी कि स्त्री को अपने पति से भी 'न' कहने की कला सिखाई जाए और उसे यह बताया जाए कि अपने पति की कठपुतली या उसके हाथों में गुड़िया बनकर रहना उसके कर्तव्य का अंग नहीं है। उसके अपने अधिकार हैं और अपने कर्त्तव्य हैं।''

गाँधी जी भारतीय समाज में महिलाओं संबंधी अनेक कुरीतियों से परिचित थे। वे पर्दाप्रथा, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, दहेजप्रथा, अनमेल विवाह, बाल–विवाह, सतीप्रथा आदि कुरीतियों को अच्छा नहीं समझते थे। उन्होंने बाल विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन किया है। विधवा पुर्विविवाह के संबंध में गॉधी जी अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त करते हैं–''अपने जीवन साथी के प्रेमवश यदि कोई विधवा जान–बूझकर स्वेच्छा से वैधव्य स्वीकार करती है तो वह अपने धर्म को पवित्र करती है और स्वयं धर्म का उन्नयन करती है। लेकिन धर्म या प्रथा द्वारा आरोपित वैधव्य एक असहनीय भार है और घर को गुप्त पाप से अपवित्र करता है तथा धर्म का पतन करता है।

यदि हमें शुद्ध रहना है और हिन्दुत्व की रक्षा करनी है तो हमें इस बलात् वैधव्य के विषय से अपने आपको मुक्त करना चाहिए। इस सुधार की शुरूआत उन घरों से की जानी चाहिए जहॉ बाल विधवाएँ हैं। लोगों को साहस करके अपने

अभिभावकत्व में रहने वाली विधवाओं का अच्छी तरह से विवाह कर देना चाहिए। मैं 'पुनर्विवाह' शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा कि उनका तो वस्तुतः विवाह कभी हुआ ही नहीं था।

सीखना जी ने बाल विधवा विवाह का समर्थन किया किन्तु प्रौढ़विधवाओं के संबंध में उनका विचार है कि उनके लिए अच्छा यही है कि वे पुनर्विवाह न करें। किन्तु यदि उनकी इच्छा विवाह की होती है तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए।

महात्मा गाँधी ने अन्तर्जातीय विवाह का भी समर्थन किया है। उनका विचार है कि अपने वर चुनने में स्वतन्त्रता होनी चाहिए और विकसित अवस्था में ही उनका विवाह होना चाहिए। उनके लिए विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यह स्वाभाविक वृत्ति है और शरीर के माध्यम से दो आत्माओं का मिलन है। यह तो विश्वव्यापी प्रेम के प्रसार हेतु अर्थात् मनुष्य जाति के सेवा हेतु साधन है। इस प्रकार विवाह उनके लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए और यह संयम व चरित्रके विकास के लिए है।

गाँधी जी ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया है किन्तु यह शिक्षा पाश्चात्य मूल्यों के अंधानुकरण के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी हो जो उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम पैदा करे और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए आगे आने के लिए तैयार कर सकें।

गाँधी जी इस विषय पर आगे कहते हैं– ''मैं स्त्री की उचित शिक्षा में विश्वास करता हूँ लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि पुरूष की नकल करके या उसके साथ होड़ लगाकर वह दुनिया में अपना योगदान नहीं कर सकेगी। वह होड़ लगा सकती है लेकिन पुरूषों की नकल करके वह उन उँचाईयों को नहीं छू सकती जिनकी सामर्थ्य उसके अंदर है। उसे पुरूष का पूरक बनना है।

गाँधी जी अपने चिंतन के अनुरूप ही स्त्रियों को आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी, आत्मविश्वासी तथा योग व कुशल बनाने के लिए व्यवहारिक स्तर पर प्रयास किए। उन्होनें महिलाओं को सत्याग्रह आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान कर उनमें सामाजिक, राजनैतिक, चेतना के विकास का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किया है। गाँधी जी ने महिलाओं को आत्म संरक्षण में सक्षम होने के विषय में कहा है–''स्त्रियों को अपनी सुरक्षा हेतु पुरूषों पर नहीं निर्भर रहना चाहिए, उसे द्रोपदी की भाँति अपने चरित्र की शक्ति और निर्बलता पर तथा ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। गाँधी जी कहते हैं कि ''जो लोग सीता को राम की स्वेच्छादासी के रूप में देखते हैं वे सीता के स्वाधीनता की उँचाई या हर बात में राम द्वारा सीता के लिहाज को नहीं समझ पाते सीता अपने और अपने सम्मान की रक्षा में असमर्थ कोई विवश निर्बल स्त्री नहीं थी।

महात्मा गाँधी ने स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा के चलन के घोर विरोधी थे वे इसे एक निरर्थक प्रथा मानते थे। उन्होंने कहा था कि स्त्री के चरित्र की निर्मलता को लेकर इतनी विकृत चिंता करने की क्या आवश्यकता है? क्या पुरूष के चरित्र की निर्मलता के मामले में स्त्री को बोलने दिया जाता है?..... स्त्री के चरित्र की निर्मलता के मामले में स्त्री को बोलने दिया जाता है?स्त्री के चरित्र की निर्मलता को विनियमित करने का अधिकार पुरूष के हाथों में क्यों रहे? यह चीज Åपर से नहीं थोपी जा सकती। यह अंदर से पैदा होने वाली वस्तु है, इसलिए यह व्यक्ति के अपने प्रयास पर छोड़नी चाहिए।''

गाँधी जी ने कहा है– ''सतीत्व किसी तापगृह में विकसित नहीं होता पर्दे की दीवार खड़ी करके उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। यह अंदर से पैदा होने वाली चीज है और इसका महत्व तभी है जब प्रत्येक यथोचित प्रलोभन का मुकाबला कर सकें''।

गाँधी जी ने दहेज–प्रथा को भी स्त्रियों की समाज में खराब दशा के लिए जिम्मेदार मानाहै एवं इसका जोरदार विरोध किया है। गाँधी जी दहेज प्रथा के लिए जाति प्रथा को भी एक कारक के रूप में देखते हैं।

गाँधी जी के शब्दों में–''यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए। विवाह माता–पिता द्वारा पैसे के जुगाड़ का साधन नहीं रहना चाहिए। इस प्रथा का जाति प्रथा से घनिष्ठ संबंध है। जब तक चयन का क्षेत्र जाति–विशेष के कुछ सौ युवा लड़के अथवा लड़कियों तक सीमित रहेगा दहेज प्रथा कायम रहेगी, भले ही उसके विरोधमें कितनी ही आवाज उठाई जाए। अगर बुराई का उन्मूलन करना है तो..... जाति के बंधन तोड़ने होंगे।

गाँधी जी ने दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए लिखा है–''दहेज भी कुत्सित प्रथा के विरूद्ध जबरदस्त जनमत तैयार किया जाना चाहिए और जो युवक इस पाप के पैसे से अपने हाथ काले करें उन्हें समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। लड़कियों के माता–पिता का अंग्रेजी उपाधियों की चकाचौंध में नहीं आना चाहिए और अपनी लड़कियों के लिए सच्चे वीर युवक ढूँढ़ने के लिए अपनी जाति अथवा प्रांत से बाहर जाने में संकोच नहीं करना चाहिए''।

गाँधी जी ने वेश्यावृति को मानवता के लिए घोर अभिशाप बताया। गाँधी जी इसके उन्मूलन के प्रति काफी आशान्वित भी थे उनके शब्दों में–''वैश्यावृति उतनी ही पुरानी है जितनी यह दुनिया, लेकिन प्रायः यह जिस प्रकार नगर–जीवन का एक नियमित लक्षण बन गई है, वैसी शायद पहले कभीनहीं थी। जो भी हो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा, जब मानवता इस अभिशाप के विरूद्ध विद्रोहकर देगी और वैश्यावृत्ति बीते जमाने की चीज हो जाएगी। मानवता ने अनेक कुरीतियों से भले ही वे बहुत अर्से से चली आ रही हों, इसी तरह छुटकारा पाया है।''

वास्तव में महात्मा गाँधी अपने चिंतन के अनुरूप ही स्त्रियों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, स्वावलम्बी तथा योग्य व कुशल बनाने के लिए व्यवहारिक स्तर पर भी प्रयास किए। उन्होनें महिलाओं को सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान किया और उनमें सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना के विकास का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किया है। उनकी स्पष्ट राय थी कि महिलाओं की समस्या स्वयं महिलाएँ ही आगे आकर समाधान कर सकती हैं।

असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथाभारत छोड़ों आंदोलन में महिलाओं के भागीदारी के कारण राष्ट्रीय आंदोलन का आधार व्यापक बन सका और इसमें महिलाओं के उत्साह एवं भागीदारी को देखकर डी0 के0 कर्वे ने कहा कि ''कई दशकों तक महिलाओं के उत्थान में समर्पित रहा हूँ किन्तु उससे उतनी उपलब्धि नहीं मिलसकी जितनी की साबरमती के इस जादूगर ने एक कल्पनात्मक कार्य के द्वारा सम्पन्न कर दिया।

गाँधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रमों, चरखा कार्यक्रमों एवं आश्रम जीवन में महिलाओं को सक्रियता प्रदान कर उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व नैतिक विकास के नये रास्ते दिखाए और उनमें आत्मविश्वास व स्वावलंबन की आधार शिला रखी। इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने बढ़–चढ़कर अपनी भागीदारी की।

गाँधी जी के इन प्रयासों से परम्परागत भारतीय समाज की जड़ता समाप्त होने में कामयाबी मिली। महिलाओं के प्रति परम्परागत सोच में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। गाँधी जी से प्रभावित अनेक महिलाएँ आगे आयीं और देश के सामाजिक व राजनैतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। गाँधी जी ने नारी शक्ति को उद्वेलित करने का अभूतपूर्व योगदान दिया है। गाँधी जी अपने चिंतन में बिलकुल स्पष्ट विचार रखते थे कि देश में जब तक स्त्रियों की दशा में

सुधार न हो और समाज में उन्हें यथोचित बराबरी और सम्मान न प्राप्त हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- ✓ यंग इण्डिया 15.9.1921, पृ0 292
- ✓ यंग इण्डिया 21.7.1921, पृ0 229
- ✓ यंग इण्डिया 8.12.1927, पृ0 406
- ✓ यंग इण्डिया 10.4.1930, पृ0 121
- ✓ यंग इण्डिया 7.5.1931, पृ0 96
- ✓ यंग इण्डिया 14.1.1932, पृ0 19
- ✓ हरिजन, 05.11.1938, पृ0 317
- ✓ हरिजन 24.02.1940, पृ013—14
- ✓ स्पीरा पृष्ठ, 425 नेटसन एण्ड कंपनी मद्रास 1933, चतुर्थ
- ✓ महात्मा गाँधी के विचार— आर0 के0 प्रभु तथ यू0 आर0 राव नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया 1944
- ✓ गाँधी जी का दर्शन— प्रताप सिंह, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर
- ✓ Thoughts of mahatma –K.S. Bharti Dattsons Nagar 1995
- ✓ World Religions and Gandhi- K.N. Tiwari Classical Publishing Company- New Delhi 1988